लेखा·योग

15. मूलभूत आय कर पंजीकरण

दिसंबर '08-जनवरी '09, संशोधितः जुलाई '09

इस अंक में

मूलभूत पंजीकरण • धारा 10 के अंतर्गत छूट • धारा 11 के अंतर्गत छूट • आवेदन कैसे करें? पृष्ठ 1

आवेदन कब करना चाहिए? • परमानेंट एकाउंट नंबर • अब क्या करें? पृष्ठ 2

कुछ लोगों को लगता है कि स्वयं सेवी संस्थान (एनजीओ) आय कर से स्वतः आज़ाद होते हैं। यह धारणा गलत है। स्वयं सेवी संस्थानों को भी आय कर से छूट के लिए बाकायदा आवेदन देना होता है। इसके बाद आपको यह छूट बनाये रखने के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ता है। इन शर्तों के अलावा भी कई बातें हैं जो किसी एनजीओ के कामकाज को प्रभावित करती हैं।

मोटे तौर पर पंजीकरण तीन तरह के होते हैं। मूलभूत पंजीकरण का आशय इस बात से है कि एनजीओ को अपने अधिशेष[1] पर आय कर[2] नहीं चुकाना होगा। यह सबसे महत्वपूर्ण पंजीकरण होता है। प्रत्येक एनजीओ को यह पंजीकरण अवश्य कराना चाहिए। इसी से संबंधित पंजीकरण परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) पाने के लिए कराया जाता है।

इसके बाद टीडीएस[3] के लिए पंजीकरण किया जाता है। स्वयं सेवी संस्थानों को कुछ लोगों के नाम पर भुगतान करते समय आय कर काटना होता है। इस राशि को सरकार के खाते में जमा करा दिया जाता है।

इसके बाद दाताओं के लिए मंजूरी लेनी होती है ताकि आगे से आपके दाता जब भी आपको पैसा दें, उन्हें कम आय कर चुकाना पड़े।

लेखायोग के इस अंक में हम केवल मूलभूत पंजीकरण के मसले पर चर्चा कर रहे हैं।

मूलभूत पंजीकरण

विकास[4] कार्यों में सक्रिय स्वैच्छिक संगठनों के लिए मूलभूत आय कर में छूट दो तरह की हो सकती है। एक छूट धारा 10 के अंतर्गत और दूसरी धारा 11 के अंतर्गत होती है।

धारा 10 के अंतर्गत छूट

धारा 10 में बहुत सारी उपधाराएं हैं। प्रत्येक उपधारा में कई खंड हैं। राष्ट्रीय अथवा क्षेत्रीय महत्व के स्वयं सेवी संस्थानों के लिए खंड 10 (23सी)(IV)[5] ही प्रासंगिक है। लेकिन यह रियायत बहुत आसानी से नहीं मिलती। अहमदाबाद, बैंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में स्वयं सेवी संस्थानों को अपने-अपने शहरों के चीफ कमिश्नर के पास आवेदन देना होता है। दिल्ली में कार्यरत संगठनों को महा निर्देशक (आय कर छूट) के पास आवेदन देना होता है। अन्य क्षेत्रों के संगठनों को अपने स्थानीय चीफ कमिश्नरों के पास आवेदन देना होता है। यह आवेदन फार्म 56 में भर कर जमा कराया जाता है।

जांच के बाद आपके आवेदन पर मंजूरी दी जा सकती है। यदि मंजूरी मिल जाती है तो इस आशय की अधिसूचना प्रकाशित की जाती है।

धारा 11 के अंतर्गत छूट

धारा 11 के अंतर्गत रियायत हासिल करना आसान है।[6] इसके लिए आपको धारा 12ए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन देना होता है।

आवेदन कैसे करें?

धारा 12ए के तहत पंजीकरण के लिए फार्म 10ए में आवेदन भर कर जमा किया जाता है। इसके अलावा स्थानीय आय कर आयुक्त के कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेज़ों की भी दो-दो प्रतियां जमा करायी जानी चाहिएं।

- सोसायटी पंजीकार द्वारा जारी किये गये पंजीकरण प्रमाणपत्र (या ट्रस्ट डीड) की प्रमाणित प्रति;
- सोसायटी के सहमति पत्र और नियमावली की पंजीकृत प्रतियाँ। पंजीकरण के समय इन दस्तावेजों की मूल प्रति भी दिखायी जानी चाहिए; तथा,
- यदि सोसायटी (या ट्रस्ट) पुरानी है तो पिछले दो-तीन साल के आंकड़ें (ऑडिटेड फाइनेन्शियल स्टेटमैंट) की प्रतियाँ।

---

1 जब आय (अनुदानों सहित) व्यय से अधिक हो तो आपके पास अधिशेष बच जाता है।
2 कुछ खास शर्तों के तहत।
3 स्रोत पर काटा जाने वाला कर (टैक्स डिडक्शन ऐट सोर्स-टीडीएस)
4 आय कर अधिनियम में 'परोपकारी' शब्द का प्रयोग किया गया।
5 जिन अन्य संगठनों के उद्देश्य धार्मिक और परोपकारी होते हैं वे खंड (5) के तहत आवेदन दे सकते हैं।
6 कई बार इसे '12ए पंजीकरण' भी कहा जाता है।

www.AccountAid.net

आवेदन कब करना चाहिए?

इस छूट के लिए आपको कब आवेदन देना चाहिए? प्रावधान यह है कि आपको उस वित्तीय वर्ष में छूट के लिए आवेदन दे देना चाहिए जिस वित्तीय वर्ष में आपकी कुल प्राप्तियां[7] 1,50,000 रुपये से ज़्यादा हो। स्वीकृति मिलने पर आपको उसी वित्तीय वर्ष से छूट मिल जाएगी जिसके दौरान आपने आवेदन दिया था।[8] इसका मतलब है कि जिन स्वयं सेवी संस्थानों की कुल प्राप्तियां 1,50,000 रुपये या इससे कम हैं उन्हें किसी तरह के टैक्स रिटर्न भरने या कर रियायत के लिए आवेदन देने की ज़रूरत नहीं है।

कमिश्नर को छः महीने के भीतर फैसला देना होता है। इसके लिए आपको कुछ और जानकारी उपलब्ध कराने या आकर मिलने का निर्देश दिया जा सकता है। कमिश्नर आपके पंजीकरण आवेदन को रद्द भी कर सकते हैं।[9]

परमानेंट एकाउंट नंबर

आय कर विभाग परमानेंट एकाउंट नंबर प्रणाली को दुरुस्त करने की बहुत कोशिश कर रहा है। फलस्वरूप, अब लगभग हर व्यक्ति को परमानेंट एकाउंट नंबर (पैन) के लिए आवेदन देना होता है। धीरे-धीरे सभी महत्वपूर्ण लेन-देनों के लिए इस नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य होता जा रहा है।

अगर आपके एनजीओ की कुल प्राप्तियां किसी एक साल में 1,50,000 रुपये से ज़्यादा हैं तो आपकी संस्था को पैन नंबर के लिए आवेदन दे देना चाहिए। अब यह आवेदन एनएसडीएल[10] या यूटीआईटीएसएल[11] के ज़रिये जमा कराया जाता है। इस आवेदन के साथ मामूली शुल्क भी जमा कराना होता है। आप चाहें तो आय कर विभाग की वेबसाइट[12] पर पैन नंबर वाला लिंक ढूंढ कर इंटरनेट के ज़रिये भी आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन जमा कराने पर आपको एक पावती रसीद मिलती है जिसको संभालकर रखना चाहिए।

निश्चित समय पर आपको एक लैमिनेटेड कार्ड मिलेगा जिस पर आपका पैन नंबर छपा होगा।[13] इस नंबर को अपनी डायरी में लिखकर रख लीजिए ताकि जब भी ज़रूरत हो आप उसे पेश कर सकें।

जिस व्यक्ति के पास पैन नंबर नहीं है उसे महत्वपूर्ण लेन देन करने से पहले फार्म 60[14] में इस बात की घोषणा करनी पड़ती है।

अब क्या करें?

जब आपने आय कर अधिनियम की धारा 12ए के तहत मूलभूत पंजीकरण के लिए आवेदन दे दिया है तो आपको आय कर रिटर्न (फार्मआईटीआर 7) जमा कराना शुरू कर देना चाहिए। यह रिटर्न हर साल 30 सितंबर तक जमा कराना होता है। इस रिटर्न के साथ ऑडिटेड बैलेंसशीट, आय-व्यय तथा प्राप्ति-भुगतान खातों का ब्यौरा जमा कराना होता है। फार्म 10बी में एक ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करायी जाती है।

ऐसा करना अनिवार्य क्यों है? धारा 12ए के तहत दी जाने वाली रियायत 'अच्छे व्यवहार' पर निर्भर होती है। व्यावहारिक स्तर पर इसका अर्थ ये होता है कि-

1. आप हर साल अपनी आय का कम से कम 85 प्रतिशत खर्च करेंगे।
2. आप अपना धन स्वीकृत बैंकों/निवेश विकल्पों में रखेंगे।
3. आप मुख्य व्यक्तियों को अतार्किक भुगतान/संसाधनों का व्यय नहीं करेंगे।
4. यदि आप परंपरागत किस्म की परोपकारी गतिविधियां (शिक्षा, चिकित्सा सहायता तथा गरीबों की मदद) में सक्रिय हैं तो आप कुछ खास व्यावसायिक गतिविधियां कर सकते हैं[15] बशर्ते इन गतिविधियों के लिए आप अलग-अलग खाते रखें।
5. अगर आप एक आधुनिक एनजीओ हैं तो आपको किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधि में हाथ नहीं डालना चाहिए।[16]

---

7 आय कर अधिनियम में दाता एजेंसियों से आने वाले सारे अनुदानों को आय की श्रेणी में रखा जाता है।
8. अब कमिश्नर के पास भी आवेदन में विलंब को माफ करने का अधिकार नहीं है।
9. धारा 12एए
10. http://www.tin-nsdl.com/DownloadsPAN.asp
11. http://www.utitsl.co.in/pan/Form49AOnline.html
12. www.incometaxindia.gov.in
13. पैन कार्ड पर व्यक्ति का फोटो भी होता है।
14. खेतिहर आय वाले व्यक्तियों के लिए फार्म 61.
15. ये गतिविधियां मुख्य उद्देश्यों की प्रप्ति के लिए 'सांयोगिक' होनी चाहिए। सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि व्यवसाय करना मुख्य कार्य नहीं होना चाहिए (धारा 11(4ए))।
16. धारा 2(15)। 1 अप्रैल 2008 से परिवर्तन प्रभावी। इस बारे में और जानकारी के लिए लेखायोग 142 और 143 देखें।

फार्म संख्या 10-ए
(नियम 17-ए देखें)

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (एए) 1 के अंतर्गत परोपकारी या धार्मिक ट्रस्ट अथवा संस्थान के पंजीकरण का आवेदन

सेवा में
आय कर आयुक्त,
....

महोदय
मैं, ... (ट्रस्ट या संस्थान का नाम) की ओर से उपरोक्त ट्रस्ट/संस्थान का आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकरण के लिए आवेदन देता/देती हूं। निम्नलिखित विवरण संलग्न हैंः

1. ट्रस्ट/संस्थान * का पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)
2. पता
3. गठन कर्ताओं/संस्थापकों के नाम और पते
4. ट्रस्ट के गठन या संस्थान की स्थापना की तारीख
5. ट्रस्टियों/प्रबंधकों के नाम और पते

मैंने निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न कर दिये हैंः
1. (क)* उस उपकरण की मूल/प्रमाणित प्रति जिसके अंतर्गत ट्रस्ट/संस्थान का गठन/स्थापना की गयी थी।
(ख)* ट्रस्ट के गठन या संस्थान की स्थापना के साक्ष्य स्वरूप आवश्यक दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रति (यदि मूल प्रतियां संलग्न की गयी तो उन्हें लौटा दिया जाएगा)।

2. ट्रस्ट/संस्थान के, पिछले एक/दो/तीन साल के खातों की दो प्रतियां।

मैं आश्वासन देता/देती हूं कि आज के पश्चात ट्रस्ट के प्रावधानों या संस्थान के नियमों में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में तत्काल सूचित करूंगा/करूंगी।

तारीख.................. दस्तखत.............

पता.................................. पद.....................

* जो प्रभावी नहीं है उसे हटा/काट दें।

(अकाउण्टेड द्वारा अनुवादित)

accountable-subscribe@topica.com

Accountaid™
Accounting for Aid. Aid in Accounting

LEKHA YOGI

© Accountaid™ India 2009

लेखा योग क्या हैः
'लेखा-योग' के प्रत्येक अंक में एनजीओ नियमन या लेखांकन से संबंधित किसी खास मुद्दे को उठाया जाता है और इसे लगभग 1400 गैर-सरकारी संगठनों, एजेंसियों और ऑडिट कंपनियों को भेजा जाता है। अगर कार्यशालाओं या एनजीओ न्यूजलैटर्स में गैर-व्यावसायिक कामों के लिए 'लेखा-योग' का पुनर्प्रकाशन या वितरण किया जाता है तो अकाउंटएड को कोई एतराज नहीं है बशर्ते आप इस बात का उल्लेख कर दें कि आपने यह सामग्री 'लेखा-योग' से ली है।

अंग्रेजी में लेखा-योगः
लेखा-योग अंग्रेजी में 'अकाउंटेबल' के नाम से उपलब्ध है।

कानून की व्याख्याः
यहां कानून की जो व्याख्या दी गई है वह काफी मोटे स्तर पर है। कोई भी अहम फैसला लेने से पहले अपने सलाहकारों से बात ज़रूर करें।

इंटरनेट पर लेखा-योगः
'लेखा-योग' के कुछ चुने हुए अंक हमारी वेबसाइट - www.AccountAid.net. पर उपलब्ध हैं। लेखायोग के नए अंकों की अपलोडिंग के बारे में ई-मेल से जानकारी हासिल करने के लिए lekhayog-subscribe@topica.com. पर एक ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेंगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर अवश्य दें।

अकाउंटएड कैप्सूलः
इसमें एनजीओ लेखांकन और इससे जुड़े मुद्दों से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। इसकी सदस्यता लेने के लिए accountaid-subscribe@topica.com. पर ई-मेल भेजें। इसके बाद पुष्टि के लिए टॉपिका आपको एक मेल भेजेंगी। अपनी सदस्यता चालू करवाने के लिए इस मेल का उत्तर अवश्य दें।

इंटरनेट पर आपके खातेः
आपके खातों का सार-संकलन करके उन्हें इंटरनेट पर प्रकाशित किया जा सकता है। इसके अलावा उन्हें आप अपनी सालाना रिपोर्ट में भी शामिल कर सकते हैं। इस के उदाहरण www.AccountAid.net. पर देखें। और ज़्यादा जानकारी के लिए info@accountaid.net पर हमें लिखें।

सवाल और स्पष्टीकरण?
अकाउंटएड एनजीओ लेखांकन या वित्तीय नियमन से जुड़े सवालों पर गैर-सरकारी संगठनों और उनके ऑडिटर्स को सलाह देता है। आप भी अपने सवाल ई-मेल या खत के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो फोन पर भी हमसे बात कर सकते हैं।

टिप्पणियांः
आप अपनी टिप्पणियां और सुझाव अकाउंटएड इंडिया, 55 बी, पॉकेट सी, सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110014 पर भेज सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-26343128; फोन/फैक्स : 011-26343852;
ई-मेलः info@accountaid.net

© अकाउंटएड इंडिया विक्रम संवत २०६६ श्रावण, ईस्वी सन् जुलाई 2009.

कु संचिता चक्रवर्ती द्वारा अकाउंटएड इंडिया, नई दिल्ली, फोन 26343128 के लिए मुद्रित एवं प्रकाशित तथा प्रिंटवर्क्स, नई दिल्ली, फोन 26811689, 9810653101 से मुद्रित।

लेखः श्री संजय अग्रवाल; **अनुवादः** श्री योगेन्द्र दत्त
अनुसंधान, चित्र एवं सम्पादनः कु. संचिता चक्रवर्ती
डिज़ाइनः श्रीमती मोऊशुमी डे
केवल निजी प्रसार के लिए।

info@accountaid.net